न्यायालय–अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-359/2012

दिनांक–16.03.2021

वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक–21.01.2021 अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 सी. पी. सी. के आवेदन पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का दिनांक–21.01.2021 का आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। वादी के आवेदन से प्रतित होता है कि प्रतिवादी सं0–2 सुदिश यादव अपनी पत्नी चंदा देवी चार पुत्र महानंद यादव, कलानंद यादव, नित्यानंद यादव, पप्पु कुमार यादव एवं एक पुत्री श्रीमती सुनिता देवी को छोड़कर दिनांक–18.05.2020 को मर गये है। वादी के उक्त आवेदन पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही की गई है।अतः न्यायहित मे वादी के दिनांक–21.01.2021 के आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद–पत्र के प्रतिवादी कॉलम मे प्रतिवादी सं–2 सुदिश यादव का नाम विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानो (उनकी पत्नी, चार पुत्र एवं एक पुत्री) का नाम वाद–पत्र मे अंकित पता सहित प्रतिस्थापित करे।

दिनांक–15.04.2021 वास्ते वादी साक्ष्य।

16/3/2021

अवर न्यायाधीश,

बनमनखी।

Scanned with CamScanner